26

क्रमांक : कैम्प स्थल सायपुरा
दिनांक : 21-5-18
पटवारी हल्का .. सायपुरा
: ने पत्र द्वारा प्रा. भेजकर लेख है कि प्रार्थना
पत्र में अंकित तथ्यों की जांच कर प्रकरण का
मौके पर ही नियमानुसार निस्तारण कर पालना
रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

तहसीलदार (भू.अ.)
जमवारामगढ़

श्रीमान जी,
मु० प्रार्थना पत्र के ग्राम चावण का मसु के ख.न 269 रकबा 0.7200 व ग्राम सायपुरा के ख.नं. 242/3, 244/2 के रामपाल पुत्र जगन्नाथ दर्ज है प्रार्थी नाम राम पाल के बजाय छोटीलाल मस्याका चाहता है मजकूर ग्राम में व दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम छोटीलाल दर्ज है अतः प्रार्थी का नाम रामपाल के बजाय छोटीलाल किया जाना उचित होगा।

21/5
मजीद शर्मा
पटवारी हल्का सायपुरा
तह. जमवारामगढ़ (जयपुर)

मु०नं० 27/2018
आवान- छोटीलाल बनाम सरकार
धारा- 88 RT Act

आदेश दि० 21/5/18

मुताबिक तहसीलदार जमवारामगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम रामपाल की बजाय छोटीलाल दुरस्त करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ़ को दिये जाते है तदानुसार तहसीलदार जमवारामगढ़ राजस्व रिकार्ड में अमल करें।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़